[2018] 3 एस.सी. आर. 718

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य
बनाम
शिव शंकर तिवारी

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30335 2017) फरवरी 08, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

सेवा कानून अनुकंपा नियुक्ति मूल योजना का प्रतिस्थापन जिसके तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है, एक ऐसी योजना द्वारा जिसके तहत आश्रितों को केवल अनुग्रह भुगतान किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा करते हुए आगे बढ़े यह आधार कि पूर्व योजना के तहत मामले पर विचार करने का कोई निहित अधिकार नहीं था और शासकीय योजना वह होगी जो आवेदन विचार के लिए आने पर लागू थी। प्रतिवादी द्वारा लिया गया निर्णय एक अलग सिद्धांत पर आगे बढ़ा और निर्धारित किया गया यह कि शासकीय योजना पूर्व योजना होगी और दावा उठाए जाने के बाद लागू होने वाली कोई भी अगली योजना लागू नहीं होगी। निर्णयों की इन दो पंक्तियों से निकलने वाले सिद्धांत सुसंगत नहीं थे और मेल नहीं खाते थे। इसलिए, मामले पर बड़ी पीठ के विचार की आवश्यकता थी। रजिस्ट्री ने याचिका के निपटारे के लिए उचित संख्या वाली पीठ गठित करने के लिए इस मामले के कागजात भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। बड़ी पीठ का संदर्भ।

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राज कुमार (2010)

11 एससीसी 661, एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह

(2014) 13 एससीसी 583: [2013] 10 एससीआर 1, केनरा बैंक और अन्य बनाम एम. महेश

कुमार (2015) 7 एससीसी 412:

[2015] 9 एससीआर 724, एसबीआई बनाम जसपाल कौर मामला (2007) 9

एससीसी 571: [2007] 2 एससीआर 101 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

(2010) 11 एससीसी 661 पैरा 4 को संदर्भित करता है।

[2013] 10 एससीआर 1 पैरा 5 को संदर्भित करता है

[2015]9 एससीआर 724 पैरा 6 को संदर्भित करता है।

[2007] 2 एससीआर 101 पैरा 8 को संदर्भित करता है

718 भारतीय स्टेट बैंक बनाम शिव शंकर तिवारी

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30335 सन 2017

विशेष अपील संख्या 363 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 28.08, 2017 से
याचिकाकर्ताओं के लिए संजय कपूर, भरत गंगाधरन, सुश्री मेघा कर्णवाल, सुश्री मानसी कपूर,
वकील |

सतीश पांडे, संजय कुमार विसेन, संतोष कुमार त्रिपाठी, राजेश मौर्य, सुश्री रितु रस्तोगी, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।

उदय उमेश ललित, जे. 1. प्रतिवादी के पिता याचिकाकर्ता बैंक के साथ कार्यरत थे और सेवा में रहते हुए 11.11.2004 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिवादी द्वारा 03.03.2005 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया था। उस तिथि तक सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। हालांकि, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा 14.07.2004 को अनुकंपा नियुक्ति के बदले मौद्रिक सहायता के भुगतान के लिए एक उचित योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए थे। आईबीए ने अपने दिनांक 31.07.2004 के माध्यम से बैंकों को उक्त मॉडल के आधार पर अपनी योजनाएं बनाने की सलाह दी थी।

2. प्रतिवादी के आवेदन पर विचार किए जाने से पहले, याचिकाकर्ता बैंक ने 04.08.2005 को प्रसारित अपनी योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि के एकमुश्त भुगतान की योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। प्रासंगिक खंड अर्थात् खंड 15 (vi) प्रदान करता है: "जिस तारीख से "अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए एसबीआई योजना" लागू होती है, बैंक की अनुकंपा नियुक्तियों की योजना को समाप्त / वापस ले लिया जाएगा और अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी भी अनुरोध पर बैंक द्वारा विचार या विचार नहीं किया जाएगा। परिस्थिति।"

3. याचिकाकर्ता बैंक के अनुसार, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका। रिट याचिका के माध्यम से बैंक की ओर से कार्रवाई को चुनौती को उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसके फैसले वर्तमान में अपील में हैं।

'इंडियन बैंक्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 3 एस. सी. आर.

4. याचिकाकर्ता बैंक के विद्वान वकील ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राज कुमार मामले में इस न्यायालय के फैसले और विशेष रूप से पैराग्राफ 2, 8, 12 और 13 पर भरोसा किया, जोनिम्नलिखित प्रभाव वाले हैं– "2. प्रतिवादी के पिता अपीलकर्ता बैंक में मैसेंजर के रूप में कार्यरत थे, उनकी मृत्यु 1–10–2004 को हो गई थी। प्रतिवादी की मां ने दिनांक 6–6–2005 और 14–6–2005 को आवेदन देकर अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति का अनुरोध किया था। जब आवेदन पर कार्रवाई की जा रही थी और सत्यापित, अनुकंपा नियुक्ति योजना को 4–8– 2005 से "अनुकंपा एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए एसबीआई योजना" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नई योजना ने अनुकंपा नियुक्तियों के लिए पुरानी योजना को समाप्त कर दिया और इसके बजाय पूर्व भुगतान के लिए प्रदान किया गया इसकी शर्तों के अनुसार अनुग्रह एकमुश्त राशि 8. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। दूसरी ओर यह सामान्य नियम का अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती आधार पर होनी चाहिए योग्यता के आधार पर खुले निमंत्रण द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है। सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के पास रोजगार का कोई विशेष दावा या अधिकार नहीं है. सिवाय उस रियायत के, जो नियोक्ता द्वारा नियमों के तहत या एक अलग योजना के तहत मृतक के परिवार को सक्षम बनाने के लिए दी जा सकती है। अचानक आए आर्थिक संकट से उबरने के लिए. इसलिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल नियोक्ता द्वारा ऐसे रोजगार के लिए बनाई गई योजना के तहत ही किया जा सकता है और ऐसी योजना के बाहर कोई भी अधिकार नहीं है। योजना के तहत नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब योजना लागू हो, न कि इसके समाप्त / वापसी के बाद इसका मतलब यह है कि जब कोई योजना समाप्त हो जाती है, तो योजना के तहत नियुक्ति की मांग करने वाला कोई भी लंबित आवेदन

भी तब तक अस्तित्व में नहीं रहेगा, जब तक कि उसे बचाया न जाए। केवल यह तथ्य कि आवेदन तब किया गया था जब योजना लागू थी, अपने आप में आवेदक के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बन जाएगा। 12. इसलिए, जाहिर है, केवल एक आवेदन पर कोई तत्काल या स्वचालित नियुक्ति नहीं। हो सकती है। कई परिस्थितियाँ (2010) 11 एससीसी 661

भारतीय स्टेट बैंक बनाम शिव शंकर तिवारी

[उदय उमेश ललित, जे.]

विचार की तारीख तक पात्रता और वित्तीय स्थिति पर असर डालने वाले को ध्यान में रखना पड़ सकता है। चूंकि योजना के तहत किसी भी आवेदक के पास निहित अधिकार नहीं है, इसलिए वह योजना लागू होगी जो आवेदन पर वास्तव में विचार किए जाने के समय लागू होती है, न कि वह योजना जो पहले आवेदन किए जाने के समय लागू थी। 13. इसके अलावा, जहां पिछली योजना समाप्त कर दी गई है और उसकी जगह लेने वाली नई योजना में विशेष रूप से प्रावधान है कि सभी लंबित आवेदनों पर केवल नई योजना के संदर्भ में ही विचार किया जाएगा, तो नई योजना ही लागू होगी। चूंकि अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार, नियोक्ता अपनी नीतियों, वित्तीय क्षमता और पदों की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय योजना को बंद कर सकता है या योजना में संशोधन कर सकता है।"

5. उन्होंने एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। उक्त निर्णय की कंडिका 2, 15 एवं 16 इस प्रकार है।

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ यह है कि प्रतिवादी के पिता, जो अपीलकर्ता बैंक में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, की मृत्यु 19–4–2006 को घर में रहने के दौरान हो गई। प्रतिवादी ने 12 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था –5– 2006 प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन के लंबित रहने के दौरान 12–6–2006 दिनांकित एक नई योजना 6–10–2006 से लागू हुई। उसके खंड 14 में प्रावधान है कि सभी आवेदन प्रारंभ की तारीख पर लंबित हैं अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर परिवार को अनुग्रह राशि देने के लिए इस योजना पर विचार किया जाएगा।

15. न्यायालय ने सेवा न्यायशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और न ही कोई आवेदक नियुक्ति के लिए स्वचालित रूप से हकदार हो जाता है, बल्कि यह विभिन्न अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पात्रता एवं परिवार की आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर आवेदन पर योजना के अनुरूप विचार करना होगा। यदि योजना कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाती है, तो कोई उम्मीदवार यह दावा नहीं कर सकता कि उसके मामले पर दिनांक 3 (2014) 13 एससीसी 583 को मौजूदा योजना के अनुसार विचार किया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 3 एस. सी. आर.

कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो गया था यानी पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु एसबीआई बनाम राज कुमार मामले में इस न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में नई योजना के तहत मामले पर विचार करना होगा।

16. उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ–साथ डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया तर्क कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को रद्द किया जाता है।"
6. दूसरी ओर, केनरा बैंक और अन्य बनाम एम. महेश कुमार मामले में फैसले पर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा जताया गया था। इस निर्णय के पैराग्राफ 11, 12, 17 और 22 हैं:–

11. डिवीजन बेंच के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, भारतीय बँक संघ (संक्षेप में "आईबीए) ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर एक योजना तैयार की। उक्त योजना के अनुसार, बैंकों ने इस योजना को खत्म कर दिया है अनुकंपा नियुक्ति और एचओ सर्कुलर नंबर 35 ऑफ 2005 दिनांक 14–2–2005 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुग्रह भुगतान की नई योजना शुरू की गई। अपीलकर्ता बैंक के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने की तिथि के अनुसार, 'डाइंग इन हार्नेस योजना" के तहत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कोई नीति नहीं थी। इसलिए बैंक का तर्क है कि नई 2005 योजना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सभी लंबित आवेदनों पर लागू होती है, प्रतिवादी के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसके अनुसार नई योजना में, वे अनुकंपा नियुक्ति के बदले केवल अनुग्रह भुगतान के हकदार हैं।

12. विचाराधीन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अनुग्रह भुगतान प्रदान करने वाली 2005 में पारित योजना या अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने वाली 1993 में प्रचलित योजना प्रतिवादी पर लागू है। 17. इन सिद्धांतों को मौजूदा मामले में लागू करते हुए, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, प्रतिवादी के पिता की मृत्यु 10–10–1998 को हुई थी जब वह चक्रवर्ती सिंह बनाम मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक, 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 7869 पर निर्णय लिया गया था। 27.7.2009 (राज.) एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह, सिविल विशेष अपील (डब्ल्यू) संख्या 798 ऑफ 2009, निर्णय 27.1.2010 (राज.) (2015) 7 एससीसी 412 भारतीय स्टेट बँक बनाम शिव शंकर तिवारी [उदय उमेश ललित, जे.]

अपीलकर्ता बैंक में क्लर्क के रूप में सेवारत और प्रतिवादी ने उस समय लागू "डाईंग इन हार्नेस स्कीम दिनांक 8–5–1993 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए समय पर आवेदन किया। अपीलकर्ता बैंक ने 30–6–1999 को प्रतिवादी के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई गरीब परिस्थितियाँ नहीं हैं। पुनः 7–11–2001 को, अपीलकर्ता बैंक ने प्रतिवादी के रोजगार के मुद्दे के संबंध में विवरण मांगा। उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब 1993 का परिपत्र संख्या 154 दिनांक 8–5–1993 लागू था। इस प्रकार एसबीआई बनाम जसपाल कौर मामले में संदर्भित निर्णय के अनुसार, दावे का निर्णय अनुग्रह भुगतान प्रदान करने वाली 2005 योजना के अनुसार नहीं किया जा सकता है। दिनांक 14–2– 2005 का परिपत्र एक प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश होने के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं डाल सकता है, जिससे 1993 के परिपत्र के अनुसार प्रतिवादी को प्राप्त अधिकार छीन लिया जा सके।

22. तत्कालीन लागू योजना 'डाइंग इन हार्नेस स्कीम 1993 के दायरे और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता बैंक को कानून के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। उस समय अस्तित्व में आई योजना (1993) के अनुसार हमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं दिखती।"

7. इन निर्णयों में, मूल योजना जिसके तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती थी, को एक योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया जिसके तहत आश्रितों को केवल अनुग्रह भुगतान किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि पूर्व योजना के तहत मामले पर विचार करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और शासकीय योजना वही होगी जो आवेदन विचार के लिए आने पर लागू थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया वह एक अलग सिद्धांत पर आगे बढ़ता है और यह निर्धारित करता है कि शासी योजना पूर्व योजना होगी और दावा उठाए जाने के बाद लागू होने वाली कोई भी योजना लागू नहीं होगी। केनरा बैंक में इस न्यायालय के फैसले ने भारतीय स्टेट बैंक और एमजीबी ग्रामीण बैंक में पहले के दो फैसलों पर ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 3 एस. सी. आर.

8. उपरोक्त सभी तीन निर्णय और साथ ही जसपाल कौर में एक निर्णय इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए थे।

9. निर्णयों की इन दो पंक्तियों से निकलने वाले सिद्धांत हमारे विचार में सुसंगत नहीं हैं और मेल नहीं खाते हैं। इसलिए इस पामले पर इस न्यायालय के कम से कम तीन माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

10. इसलिए, हम रजिस्ट्री से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान याचिका का निपटारा करने के लिए उचित शक्ति की एक बेंच गठित करने के लिए इस मामले के कागजात माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें।

11. तदनुसार आदेश दिया गया।

देविका गुजराल मामला बड़ी बेर को भेजा गया. 7 (2007) 9 एससीसी 571

Translated/Vetted by :
Aradhana Kushwaha
Addl. Distt. Judge
Saharanpur